



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 कार्तिक, 1947 (श०)

संख्या - 497 राँची, सोमवार,

10 नवम्बर, 2025 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

10 नवम्बर, 2025

सं०-ख०नि०(विधि)-93/2023-2528--बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 एवं उक्त के

अन्तर्गत प्रतिपादित नियमावली के तहत खनन पट्टेधारियों/अनुज्ञप्तिधारियों से बकाया राशि की वसूली हेतु खान एवं भूतत्व विभाग के पदाधिकारियों को जिलावार नीलाम पत्र पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु उनका क्षेत्राधिकार निम्नवत निर्धारित किया जाता है:-

पदाधिकारी का पदनाम	नीलाम पत्र पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु निर्धारित क्षेत्राधिकार
अपर निदेशक, खान, राँची	सम्पूर्ण झारखण्ड
उप निदेशक, खान, दक्षिणी छोटानागपुर अंचल, राँची	राँची, खुँटी, सिमडेगा, लोहरदगा एवं गुमला
उप निदेशक, खान, उत्तरी छोटानागपुर अंचल, हजारीबाग	हजारीबाग, रामगढ़ चतरा एवं कोडरमा
उप निदेशक, खान, पलामू अंचल, मेदिनीनगर	पलामू, लातेहार एवं गढ़वा
उप निदेशक, खान, धनबाद अंचल, धनबाद	धनबाद, बोकारो एवं गिरिडीह
उप निदेशक, खान, कोल्हान अंचल, चाईबासा	पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावाँ एवं पूर्वी सिंहभूम
उप निदेशक, खान, संथाल परगना अंचल, दुमका	दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, जामताड़ा एवं पाकुड़

2- पुनः, बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अन्तर्गत प्रतिपादित बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली नियमावली, 1915 के नियम-56 के तहत मांगपत्रित/बकाया राशि के किश्तवार भुगतान अनुमान्य करने हेतु मांगपत्रित/बकाया राशि की अधिसीमा के आधार पर उपरोक्त कंडिका की तालिका में यथावर्णित नीलाम पत्र पदाधिकारी को निम्नवत शक्ति प्रदान की जाती है:-

मांगपत्रित राशि/बकाया राशि	प्रथम किश्त का न्यूनतम प्रतिशत	प्रथम किश्त के उपरान्त शेष किश्तवार भुगतान की अधिसीमा	नीलाम पत्र पदाधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
रू 1 करोड़ तक	50%	एक वर्ष	संबंधित उप निदेशक, खान
रू एक करोड़ से अधिक 10 करोड़ तक	40%	एक वर्ष छः माह	अपर निदेशक, खान, रांची
रू 10 करोड़ से अधिक रू 100 करोड़ तक	30%	दो वर्ष	
रू 100 करोड़ से अधिक	25%	तीन वर्ष	

- नोट:-**(a) यदि उपरोक्त स्तंभ (4) में वर्णित, शक्तिमान पदाधिकारी द्वारा ही मांगपत्र निर्गत है तो उच्चतर स्तर (उप निदेशक, खान के स्थान पर अपर निदेशक, खान, रांची तथा अपर निदेशक, खान, रांची के स्थान पर निदेशक, खान) द्वारा वाद का निष्पादन किया जायेगा।
- (b) प्रथम किश्त के भुगतान के पश्चात समीक्षोपरान्त शेष देय राशि के भुगतान हेतु नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा भुगतान की किश्त एवं समय-सीमा निर्धारित की जाएगी।
- (c) खनन पट्टा/अनुज्ञप्ति के बावत पूर्व बकाये के संदर्भ में मांगपत्रित राशि हेतु निर्गत आदेश के उपरान्त प्रथम किश्त के भुगतान के पश्चात चालान निर्गत किये जाने का आदेश संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जा सकेगा।
- (d) मांगपत्रित राशि के बावत सूद, संबंधित प्रभावी नियमावली के अनुसार देय होगा।
- (e) किसी किश्त के भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में एक सप्ताह के समयावधि के पश्चात सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विलम्ब का कारण असंतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में शेष राशि संबंधित नियमावली के प्रावधानों के तहत वसूल की जाएगी एवं चालान का निर्गत किया जाना शेष राशिके वसूली किये जाने तक स्थगित रहेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरवा राजकमल,
सरकार के सचिव।
